

आवश्यक जानकारी - इस प्रशिक्षण के अंतर्गत पशुओं में प्राथमिक पशु चिकित्सा जिसके अंतर्गत बीमारी की प्रारंभिक पहचान, सामान्य उपचार, प्राथमिक उपचार तकनीकें, टीकाकरण एवं रोगों से बचाव, पोषण की जानकारी, स्वच्छता एवं आवास की सलाह, पशु संख्या नियंत्रण एवं प्रजनन सलाह सुविधा उपलब्ध तथा बेरोजगार युवाओं को कृत्रिम गर्भाधान कार्य, पशुधन प्रबंधन डेयरी विकास एवं व्यवसाय, पशुओं में रोग एवं रोगों की जानकारी तथा रोकथाम हेतु उपचार, चारा विकास, अधिक दुग्ध उत्पादन के उपाय, गाय के गोबर एवं गौमूत्र से विभिन्न प्रकार के उत्पाद तैयार किये जाने का प्रशिक्षण, व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम व उद्यमिता, कौशल शिक्षा आदि का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

नोट :- प्रशिक्षण के पश्चात् नियमानुसार कार्य करने पर निगम की ओर से मासिक आय 35,000/- रुपये देय होगी इसके अंतर्गत पशु सेवा केंद्र पर नियमानुसार एवं लक्ष्यानुसार न्यूनतम एक वर्ष तक लगातार कार्य करने पर ही आप द्वारा प्रशिक्षण हेतु जमा राशि 40,000/- रुपये की वापसी निगम द्वारा की जाएगी। प्रशिक्षण शुल्क राशि वापसी चाहने हेतु संलग्न प्रशिक्षण शुल्क राशि वापसी का आवेदन भी प्रस्तुत करें।

- ❖ प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यार्थी कृषि मंत्रालय पशुपालन डेयरी और मत्स्य विभाग, भारत सरकार की परियोजना "राष्ट्रीय गोकुल मिशन" के तहत पंचायत स्तर पर AI WORKER (कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता) में भी नियुक्त किये गये हैं।
- ❖ मासिक लक्ष्य प्राप्त नहीं करने पर मासिक आय में आनुपातिक कटौती की जायेगी। निगम द्वारा पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता को स्पेशल गोल्ड दूधधारा कैल्शियम कैन एक निश्चित कमीशन पर उपलब्ध करायी जायेगी। मासिक लक्ष्य की प्राप्ति (200 कैन विक्रय) करने पर संभावित 35,000/- मासिक कमीशन की आय वेतन के अतिरिक्त अर्जित की जा सकेगी।

1. कार्य दायित्व :-

1. प्रशिक्षण के पश्चात् पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता को ग्राम पंचायत में निगम के पशु सेवा केंद्र पर कार्य करने हेतु लगाया जाएगा।
2. पशु सेवा केंद्र पर निगम के उत्पाद की बिक्री लक्ष्यानुसार करना उसका दायित्व होगा। पशु सेवा केन्द्रों के माध्यम से निगम के कार्ड धारी पशुपालकों को निःशुल्क प्राथमिक उपचार सेवाएँ प्रदान करना।
3. पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता का मासिक लक्ष्य संलग्न घोषणा पत्र के बिंदु संख्या 4 में वर्णित है।

(घोषणा पत्र)

- मैं जानता हूँ कि उक्त रजिस्ट्रेशन शुल्क प्रवेश सुरक्षित करने हेतु जमा किया गया है जो वापसी देय नहीं है। प्रशिक्षण पूर्ण होने से पूर्व ही प्रशिक्षण छोड़ने पर जमा प्रशिक्षण शुल्क राशि वापस देय नहीं है और रोजगार का पात्र नहीं होगा।
- मैं उपरोक्त आवेदक घोषणा करता /करती हूँ कि चाहे गये मापदण्डानुसार आयु पूर्ण करता /करती हूँ एवं मेरी किसी भी प्रकार की आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है।
- मैं इस प्रशिक्षण को प्राप्त करने के पश्चात् भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम 1984 के नियमों का उल्लंघन नहीं करूँगा / करूँगी तथा उपरोक्त पर कोई विवाद नहीं करूँगा / करूँगी।
- मैं घोषणा करता / करती हूँ कि उपरोक्त श्रेणी जिस हेतु मैंने आवेदन किया है की आवश्यक जानकारी, नियम एवं शर्तें मेरे द्वारा भलीभाँति पढ़ एवं समझ ली गयी है।
- मैं घोषणा करता /करती हूँ कि उपरोक्त वर्णित मेरे द्वारा दी गयी जानकारी सही व सत्य है। मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। मुझे जानकारी है की निगम निजी क्षेत्र की कंपनी है।
- मैं घोषणा करता /करती हूँ कि यह मैंने स्वयं की इच्छा से उपरोक्त वर्णित सभी जानकारी स्वीकार एवं हस्ताक्षरित की है।
- यह मैंने किसी भी बाहरी दबाव में, जबरदस्ती से या बहकावे में आकर नहीं किया है।
- समस्त प्रकार के कानूनी विवादों के सम्बन्ध में न्याय क्षेत्र उत्तर, क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर (राजस्थान) ही होगा।

दिनांक :-

आवेदक का नाम व हस्ताक्षर

स्थान :-

घोषणा पत्र

(प्रशिक्षणार्थी के द्वारा 100 रुपये गैरन्यायिक स्टाम्प पेपर पर निष्पादित)

मैं पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री यह घोषणा करता / करती हूँ कि

1. पाठ्यक्रम एवं शुल्क का विवरण इस प्रकार है।

प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का नाम	पद का नाम	अवधि	शैक्षिक योग्यता	कुल शुल्क	बैच प्रारम्भ होने का माह (संभावित)
एनिमल साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी (AST)	पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता (AHW)	6 माह	12 th (किसी भी विषय में)	43,000/-	अक्टूबर 2025

रजिस्ट्रेशन शुल्क - 3000/- (अप्रतिदेय), प्रशिक्षण में प्रवेश पर प्रशिक्षण शुल्क राशि प्रथम किस्त - 25,000/- (नियमानुसार वापसी योग्य), प्रशिक्षण के एक माह बाद प्रशिक्षण शुल्क राशि द्वितीय किस्त - 15000 /- (नियमानुसार वापसी योग्य)

नोट 1 :- प्रशिक्षण प्राप्त, अभ्यर्थियों को विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, राजस्थान सरकार से प्रमाण पत्र जारी के पश्चात निगम द्वारा नियमानुसार नियुक्त किया जाएगा।

नोट 2:- प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (तीन पुस्तकें) निःशुल्क प्रदान की जायेगी।

परीक्षा शुल्क प्रतिपरीक्षा 1500/- रु. अतिरिक्त देय है। जो वापसी देय नहीं है।

2. प्रशिक्षण कार्यक्रम रूपरेखा

आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि - प्रकाशित विज्ञप्ति के अनुसार

आवेदन जाँच - अंतिम तिथि से 10 दिन तक

चयन सूचना - आवेदन जाँच से अगले 10 दिन में

प्रथम किस्त जमा - चयन सूचना से अगले 15 दिन में

काउंसलिंग - किस्त जमा से अगले 10 दिन में

प्रशिक्षण प्रारम्भ - काउंसलिंग से अगले 10 दिन में

नोट :- उक्त कार्यक्रम में फेर - बदल संभव है।

3. मैं यह जानता / जानती हूँ कि

- पूर्ण भरे हुए आवेदन पत्र के साथ रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करवाने पर आवेदक को प्रशिक्षण हेतु आमंत्रित किया जायेगा।
- आवेदन पत्र जमा करवाने एवं प्रशिक्षण प्रारम्भ होने से लेकर प्रशिक्षण पूर्ण होने तक यदि कोई आवेदक आवेदन वापस लेता है तो उसके द्वारा जमा शुल्क वापस देय नहीं है तथा आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।
- प्रशिक्षणार्थियों का चयन 12वीं की मार्कशीट (मेरिट) के आधार पर तय की जायेगी। राजस्थान में जयपुर जिले में प्रशिक्षण हेतु उपस्थित होना होगा। प्रशिक्षण के दौरान आवासीय व खाने का खर्चा प्रशिक्षणार्थी द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।
- चयनित प्रशिक्षणार्थी जिनके द्वारा विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय से प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया है, उन्हें विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।
- चयन के पश्चात् प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने पर आवेदक को अयोग्य मान आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा तथा पूर्व में जमा रजिस्ट्रेशन शुल्क की राशि जब्त कर ली जाएगी।
- किसी कारणवश प्रथम किस्त जमा होने के पश्चात प्रशिक्षण बीच में छोड़ने पर जमा प्रशिक्षण शुल्क राशि वापस देय नहीं है।
- आवेदक द्वारा ऑनलाइन / ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा किया जाता है और आवेदन पत्र नहीं भेजा जाता है तो भी यह मानते हुए की वह सभी नियम एवं शर्तों से परिचित है, प्रशिक्षण हेतु बुलावा भेजा जाएगा उसकी अनुपस्थिति होने पर उसका रजिस्ट्रेशन शुल्क वापसी देय नहीं होगा।
- वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का प्रभाव अत्यधिक होने की स्थिति में केंद्र / राज्य सरकार के निर्देशानुसार यह प्रशिक्षण निगम द्वारा ऑनलाइन माध्यम से करवाया जा सकता है। जिसकी जानकारी आवेदक को रजिस्टर्ड ई-मेल पर भेजी जायेगी।

4. पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता (AHW) पद हेतु कार्य दायित्व एवं मासिक वेतन:-

1. निगम में मुझे पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता (AHW) के रूप में कार्य करना है मेरा मासिक लक्ष्य 200 कैन स्पेशल गोल्ड दूधधारा कैल्शियम 5 ली. (फीड सप्लीमेंट) पशुपालको को प्रति माह बिक्री करना है। स्पेशल गोल्ड दूधधारा कैल्शियम (फीड सप्लीमेंट) प्राप्त करने के लिये मेरे द्वारा, प्रशिक्षण पूर्ण होने और नियुक्ति से पूर्व उत्पाद प्राप्ति हेतु निगम में न्यूनतम उत्पाद खरीद राशि 10000/- जमा करानी होगी। यह राशि प्रशिक्षण शुल्क राशि के अतिरिक्त होगी। जमा राशि के बदले निगम द्वारा स्पेशल गोल्ड दूधधारा कैल्शियम ट्रांसपोर्ट के जरिये भेजा जायेगा ट्रांसपोर्ट का खर्चा निगम द्वारा वहन किया जायेगा।
2. पशुपालक/ किसान परिवार द्वारा स्पेशल गोल्ड दूधधारा कैल्शियम कैन (5 लीटर) की खरीद पर एक लाख का दुर्घटना बीमा (निःशुल्क) जारी करना। (एक कैन खरीदने पर एक व्यक्ति का एक साल के लिए एक लाख का दुर्घटना बीमा जारी होगा।)
3. कक्षाएं प्रारम्भ होने व प्रथम किस्त जमा कराने पश्चात् प्रशिक्षणार्थी को एक साल के लिए 2.50 लाख (दो लाख पचास हजार) का निःशुल्क दुर्घटना बीमा जारी होगा।
4. मुझे ग्राम पंचायत क्षेत्र में निगम के कार्डधारी पशुपालको के पशुओं का निःशुल्क उपचार करना है।
5. मुझे ग्राम पंचायत क्षेत्र में प्रतिमाह सशुल्क न्यूनतम 20 कृत्रिम गर्भाधान कार्य करना है।
6. मुझे ग्राम पंचायत क्षेत्र में प्रतिमाह सशुल्क 30 प्राथमिक पशु उपचार के कार्य को करना है।
7. कार्य दायित्व के नियम संख्या 4(1) के अनुसार कार्य करने पर मुझे प्रतिमाह भारतीय पशुपालन निगम लि. द्वारा मासिक आय पैंतीस हजार (35,000/-रु.) प्राप्त होगी। मासिक लक्ष्य प्राप्त नहीं करने पर मासिक आय में आनुपातिक कटौती की जायेगी। **निगम द्वारा पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता को स्पेशल गोल्ड दूधधारा कैल्शियम कैन एक निश्चित कमीशन पर उपलब्ध करायी जायेगी। मासिक लक्ष्य की प्राप्ति (200 कैन विक्रय)करने पर संभावित 35,000 /- मासिक कमीशन की आय वेतन के अतिरिक्त अर्जित की जा सकेगी।**
8. पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता (AHW) को निगम के लक्ष्य पूर्ण करने पर एक हजार (1000 रु.) अतिरिक्त बोनस भुगतान किया जायेगा, निर्धारित लक्ष्य लगातार एक वर्ष तक पूर्ण करने पर निगम की ओर से नियमानुसार एक मोटरसाइकिल प्रदान की जाएगी।

5. प्रशिक्षण शुल्क राशि वापसी नियम :-

1. प्रशिक्षण में प्रवेश के समय ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रशिक्षण शुल्क राशि वापसी चाहने हेतु आवेदन पत्र 100/- रु के स्टाम्प पेपर पर नोटेरी करवाकर जमा करें।
2. घोषणा पत्र में दिए गए नियमानुसार एवं लक्ष्यानुसार पशु सेवा केंद्र पर एक वर्ष कार्य करने पर प्रशिक्षण शुल्क राशि लौटायी जायेगी। उस प्रशिक्षण शुल्क राशि में रजिस्ट्रेशन शुल्क व परीक्षा शुल्क शामिल नहीं है। पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता मासिक लक्ष्य घोषणा पत्र की बिंदु संख्या 4 (1) में वर्णित है।
3. निगम में नियुक्ति नहीं चाहकर केवल प्रशिक्षण प्राप्त करने के एवज में प्रशिक्षण शुल्क राशि नहीं लौटायी जायेगी।

मैं अच्छी तरह से जान गया हूँ / गयी हूँ कि

- रजिस्ट्रेशन शुल्क 3000 /- रु जमा कराने के बाद यदि मैं अपना प्रशिक्षण हेतु चयन रद्द करवाता हूँ तो यह राशि वापसी देय नहीं है।
- प्रशिक्षण फीस जमा कर देने के बाद प्रशिक्षण में अनुपस्थित रह कर यदि मैं अपना प्रशिक्षण रद्द करवाता हूँ तो जमा प्रशिक्षण फीस में से पचास (50) प्रतिशत राशि काट कर शेष राशि वापसी दी जायेगी तत्पश्चात चयन रद्द हो जायेगा। अगर मेरे उपस्थित होने और प्रशिक्षण प्रारम्भ होने के प्रथम माह में मैं अपना चयन रद्द करने का आवेदन करता हूँ तो निगम जमा प्रशिक्षण फीस को जब्त कर लेगा।
- यदि मैं दो माह पश्चात् प्रशिक्षण छोड़ता हूँ / छोड़ती हूँ तो सम्पूर्ण प्रशिक्षण फीस पूरी तरह से जब्त कर ली जायेगी।

शपथ पत्र

- ❖ उक्त रजिस्ट्रेशन शुल्क चयन के पश्चात् वापसी देय नहीं है।
- ❖ मैं चाहे गये मापदण्डानुसार आयु पूर्ण करता / करती हूँ एवं मेरी किसी भी प्रकार की आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है।
उपरोक्त पद जिस हेतु मैंने आवेदन किया है की आवश्यक जानकारी, नियम एवं शर्तें मेरे द्वारा भलीभांति पढ़ एवं समझ ली गई है।
- ❖ मैंने प्रशिक्षण संबंधित नियम, शर्तें तथा कार्यपद्धति समझ ली है। मैं प्रशिक्षण संबंधित सभी नियमों की पालना करूँगा /करूँगी। निगम के किसी भी नियम एवं शर्तों का उल्लंघन करने पर निगम प्रबंधन मुझे प्रशिक्षण से निष्कासित करने का पूर्ण अधिकारी है
- ❖ मैं इस प्रशिक्षण को प्राप्त करने के पश्चात् भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम 1984 के नियमों का उल्लंघन नहीं करूँगा /करूँगी तथा उपरोक्त पर कोई विवाद नहीं करूँगा /करूँगी।
- ❖ उपरोक्त वर्णित मेरे द्वारा दी गई जानकारी सही व सत्य है। मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। मुझे जानकारी है कि निगम निजी क्षेत्र की कंपनी है। यह प्रशिक्षण कौशल विकास हेतु है इसके जरिये सरकारी नौकरी मिलने का कोई भी दावा निगम नहीं करता है।
- ❖ यह मैंने स्वयं की इच्छा से उपरोक्त वर्णित सभी जानकारी स्वीकार एवं हस्ताक्षरित की है। यह मैंने किसी बाहरी दबाव में, जबरदस्ती से या बहकावे में आकर नहीं किया है। समस्त प्रकार के कानूनी विवादों के सम्बन्ध में न्याय क्षेत्र जयपुर (राजस्थान) ही होगा।

(SIGNATURE OF APPLICANT)

आवेदक के हस्ताक्षर

आवश्यक सूचनायें

ऑनलाइन आवेदन प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न किये जाने योग्य दस्तावेज़:-

1. बारहवीं कक्षा की अंकतालिका / प्रमाण पत्रों की स्वहस्ताक्षरित प्रति संलग्न करें।
2. पंजीयन शुल्क जमा रसीद की निगम प्रति संलग्न करें।
3. अपने पहचान पत्र/ मूल निवास/आधार कार्ड की प्रति संलग्न करें।
4. घोषणा पत्र व प्रशिक्षण शुल्क राशि वापसी चाहने हेतु प्रार्थना पत्र 100/- रुपये के स्टाम्प पर नोटेरी करवाकर संलग्न करें।

आवेदन भेजने का तरीका :- ऑनलाइन/ ऑफलाइन आवेदन पत्र को ऊपर लिखे हुये दस्तावेजों सहित लिफाफे में डालकर नीचे दिये पते पर रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से भिजवाये।

आवेदन प्रार्थना पत्र भेजने का पता

भर्ती पूर्व प्रशिक्षण हेतु
भारतीय पशुपालन निगम लि., ए सी 4, गायत्री सदन,
जिला परिषद् के सामने, सवाई जयसिंह हाईवे, बनीपार्क, जयपुर, राजस्थान पिन - 302016

सामान्य जानकारी :-

1. भारतीय पशुपालन निगम लि. निजी क्षेत्र की पब्लिक लिमिटेड कंपनी है यह प्रशिक्षण कौशल विकास के लिए है इसके जरिये निगम कोई भी सरकारी नौकरी का दावा नहीं करता है। भारतीय पशुपालन निगम लि. राजस्थान सरकार के " विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय" द्वारा अधिकृत है।
2. भारतीय पशुपालन निगम लि. पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता जॉब रोल हेतु चयनित आवेदकों को एनिमल साइंस एंड टेक्नोलॉजी छः माह का प्रशिक्षण (5 माह का सैद्धांतिक प्रशिक्षण व 1 माह का प्रायोगिक प्रशिक्षण) प्रदान करेगा एवं प्रशिक्षण के पश्चात् प्रमाण पत्र दिया जाएगा। प्रशिक्षण में पशुओं में होने वाले रोग तथा उनकी रोकथाम के उपाय नस्ल सुधार हेतु कृत्रिम गर्भाधान, बधियाकरण तथा टीकाकरण के लाभ, प्राथमिक उपचार, पशुधन उत्पादन, पोषण एवं प्रबंधन, चारा विकास, डेयरी विकास से दूध उत्पादन वृद्धि की जानकारी दी जायेगी।
3. भारतीय पशुपालन निगम लि. द्वारा पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता (AHW) प्रशिक्षण के पश्चात् सफल प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण अंकतालिका / प्रमाण पत्र दिया जाएगा।
4. निगम की वेबसाइट www.bharatiyapashupalan.com पर दी गई, जानकारी को ही अधिकृत समझे, अन्य किसी भी वेबसाइट या माध्यम के जरिये किये गए व्यवहार के प्रति हम जिम्मेदार नहीं है एवं आवेदन सम्बंधित किसी भी सहायता के लिए निगम की हेल्पलाइन – **0141-2202271, 9351899199** पर संपर्क करें।
5. प्रशिक्षण से सम्बंधित सभी अधिकार निगम के पास सुरक्षित है। इस हेतु आवेदनकर्ता का कोई भी ऐतराज़ मान्य नहीं है।
6. ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व विस्तृत विज्ञापन / ऑफलाइन आवेदन पत्र में लिखी सभी नियम एवं शर्तों को डाउनलोड कर सभी जानकारीयों को आवश्यक रूप से पढ़ें।
7. निगम द्वारा आवेदक को प्रशिक्षण से सम्बंधित सभी सूचनाएं व जानकारी केवल ई-मेल के माध्यम से दी जाएगी, अतः आवेदक द्वारा स्वयं की सही ईमेल आईडी लिखी जानी आवश्यक है।

निगम में नियुक्ति एवं चयन का आधार:-

1. प्रशिक्षण कार्यक्रम में चयन होने के पश्चात् जो प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण पूर्ण कर प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेता है उन्हें निगम द्वारा नियुक्ति दी जाएगी।
2. सभी ग्राम पंचायतों पर पशु सेवा केंद्र खोले जाने हैं अतः इस हेतु ग्रामीण पृष्ठ भूमि के स्थानीय निवासी को वरीयता दी जायेगी। इन केन्द्रों से निगम के उत्पाद विक्रय एवं प्राथमिक पशु स्वास्थ्य सेवायें देने का प्रावधान है।

नोट :- प्रशिक्षण प्राप्त, अभ्यर्थियों को विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, राजस्थान सरकार से प्रमाण पत्र जारी के पश्चात् निगम द्वारा नियमानुसार नियुक्त किया जाएगा।

चयन की सूचना :-

1. आवेदन पत्र प्राप्ति के पश्चात् आवेदक द्वारा दी गयी जानकारी एवं दसवीं कक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर चयन की सूचना आवेदक की रजिस्टर्ड मेल आई डी पर भेज दी जायेगी।
2. चयनित आवेदक को प्रशिक्षण में चयन की सूचना के साथ प्रशिक्षण फीस की प्रथम किस्त जमा करवाने बाबत सूचना ईमेल के माध्यम से दी जायेगी।
3. प्रशिक्षण फीस की प्रथम किस्त ऑनलाइन / ऑफलाइन माध्यम से जमा करानी होगी तथा निगम की प्रति निगम के जयपुर कार्यालय में डाक द्वारा भेजनी होगी।
4. प्रशिक्षण की प्रथम किस्त जमा कर निगम की प्रति डाक द्वारा भेजने और आवेदक को काउंसलिंग की सूचना ई मेल / डाक के माध्यम से आवेदक को भेजी जायेगी।
5. आवेदक द्वारा प्रशिक्षण की प्रथम किस्त जमा नहीं करवाने पर AHW पद के लिये आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा व रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं लौटाया जायेगा।

(100 रु के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटेरी द्वारा प्रमाणित)
प्रशिक्षण के नियमानुसार एक वर्ष कार्य के पश्चात् प्रशिक्षण शुल्क राशि वापसी चाहने हेतु
प्रार्थना पत्र

सेवा में,

निदेशक
भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड
जयपुर

मैं.....पुत्र / पुत्री /पत्नि श्री निवासी
.....
.....तहसील.....जिला.....
..... राज्य.....का रहने वाला / वाली हूँ ।

मैं वचन देता हूँ कि निगम के घोषणा पत्र में दिये नियमानुसार एवं लक्ष्यानुसार पशु सेवा केंद्र पर प्रतिमाह कार्य करूँगा / करूँगी ।
कृपया मेरे द्वारा दी गई प्रशिक्षण शुल्क राशि को नियमानुसार एक वर्ष का कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर लौटाने की कृपा
करे ।

नोट :- निगम में नियुक्ति नहीं चाहकर केवल प्रशिक्षण प्राप्त करने के एवज में प्रशिक्षण शुल्क राशि नहीं लौटायी जायेगी ।

धन्यवाद

आवेदक हस्ताक्षर

नाम.....
पिता / पति का नाम.....
पूरा पता.....